

// प्रेस विज्ञप्ति //
सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के चयनित विद्यार्थियों के
नवीनीकरण आवेदन करने हेतु ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली, सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01 मई 2018 के निर्देशानुसार सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के वर्ष 2008 से 2012 तक चयनित विद्यार्थियों के लिये (1st to 4th renewal), वर्ष 2013 के विद्यार्थियों के लिये (1st to 3rd renewal), वर्ष 2014 के विद्यार्थियों के लिये (1st and 2nd renewal) के नवीनीकरण आवेदनों के प्रस्ताव दिनांक 31 मई 2018 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली भेजे जाने हैं। जिन चयनित विद्यार्थियों ने आज दिनांक तक नवीनीकरण आवेदन नहीं किया है, ऐसे विद्यार्थी ऑफलाईन नवीनीकरण आवेदन दिनांक 25.05.2018 तक माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल को आवश्यक रूप से भेजें।

आवेदक माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in से नवीनीकरण आवेदन पत्र का प्रिन्ट निकालकर आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण कर संस्था प्राचार्य द्वारा सत्यापित कर निम्न आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निम्नलिखित पते पर अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें। दस्तावेज पूर्ण न होने एवं अधूरे भरे आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त माने जावेंगे। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के छात्रवृत्ति से वंचित रह जाने की जिम्मेदारी मण्डल की नहीं होगी।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची :- 1. कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, 2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त अंकसूचियाँ, 3. आधार कार्ड, 4. पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, 5. जाति प्रमाण पत्र, 6. पूर्व प्राप्त छात्रवृत्ति राशि का विवरण सहित बैंक पासबुक की छायाप्रति, 7. आगामी कक्षा में प्रवेश की रसीद, 8. आवेदक द्वारा कौन सी किश्त हेतु नवीनीकरण भेजा जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख सहित।

आवेदन भेजने का पता :- सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
छात्रवृत्ति कक्ष, विज्ञान भवन,
शिवाजी नगर, भोपाल 4620011 (मध्यप्रदेश)।
फोन नं. 0755- 2769911, 2551166

04/5/18
उप सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल

1-35/2017 NS-1(DBT)(pt. 1)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
NS.I Section

2nd Floor, Wing 6, West Block -1, R.K. Puram, Sector -1
New Delhi-110066

Dated: 1st May, 2018

To
Chairman, *CBSE* and Secretaries of State Education Boards of all States.

Subject :- Monitoring and clearance of pending renewals from 2008 to 2014 under Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students.

Sir,

The Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development is implementing the Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students from the academic year 2008-09. From the year 2015, the scheme has on boarded the National Scholarship Portal.

2. Prior to 2015, the State Education Boards were preparing the eligibility lists and sending/ uploading the eligibility lists to this Ministry for payment to the beneficiaries. The total tenure of the scholarship under the scheme is five years.

3. It has been observed that despite completion of the 5 years tenure of the studies, the Boards are still sending renewal proposals of the Academic Years 2008-09 to 2012-13. The spirit of scholarship is defeated, if the scholarship amount is paid to the eligible students after completion of study.

4. In this connection, on the directions of Secretary (Higher Education), it has been decided to complete the pendency before the end of 1st Quarter of 2018-19. Therefore it is requested that data for all the renewals from batch 2008 to 2012 (1st to 4th renewal), 2013(1st renewal to 3rd renewal), 2014(1st and 2nd renewal) should be uploaded and forwarded through PFMS Portal along with 'No Duplication Certificate' latest by 31st May, 2018.

5. Further, in case of difficulty in uploading the eligibility lists on the PFMS portal, the State Education Boards are requested to depute concerned officers of their Board to the Ministry or in online mode they can contact 'TEAMVIEWER' with Ministry.

Yours Faithfully,

(Ghanshyam)

Under Secretary to Govt. of India
011-2617 2917

132/2017/82
04/05/18